# निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश

## आठवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ

## सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम– 2015 में निहित प्राविधानों तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2019 नियमों/उप नियमों के अन्तर्गत प्रदेश में जनपद स्तर पर गठित किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य पद पर एवं बाल कल्याण समिति में क्रमशः अध्यक्ष एवं सदस्य पदों पर चयन किया जाना है जिसके लिये इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से निदेशालय, महिला कल्याण की वेबसाइट **mahilakalyan.up.nic.in** पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अर्हताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं :–

**क–किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों हेतु अर्हतायें :–**

1. आवेदक की आयु 01 जनवरी 2020 को 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
2. आवेदक को शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है या वे बाल मनोविज्ञान या मनश्चिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक होना चाहिए।
3. किशोर न्याय बोर्ड में दो कार्यकाल पूर्ण कर चुके सदस्य प्रदेश में किसी भी किशोर न्याय बोर्ड में आवेदन हेतु अनर्ह होंगे।
4. कोई भी व्यक्ति प्रदेश में किसी भी किशोर न्याय बोर्ड में लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु पात्र नहीं होगा।

**ख–बाल कल्याण समिति के सदस्यों की अर्हतायें :–**

1. अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु आवेदक की आयु 01 जनवरी 2020 को 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
2. आवेदक को शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों के क्षेत्र में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्ष का अनुभव या बाल मनोविज्ञान या मनश्चिकित्सा या सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान या मानव विकास या विधि क्षेत्र में डिग्री के साथ व्यवसायरत कृतिक या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिये।
3. आवेदक किसी दत्तक ग्रहण एजेन्सी से संबंधित न हो।
4. अध्यक्ष का चयन, चयनित सदस्यों में से, योग्यता के आधार पर किया जायेगा।
5. बाल कल्याण समिति में दो कार्यकाल पूर्ण कर चुके सदस्य प्रदेश में किसी भी बाल कल्याण समिति में आवेदन हेतु अनर्ह होंगे।
6. कोई भी व्यक्ति प्रदेश में किसी भी बाल कल्याण समिति में लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु पात्र नहीं होगा।

नोट :– मात्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 15 फरवरी, 2020 से 6 मार्च 2020 तक आवेदन किये जायेंगे तथा किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इच्छुक व्यक्ति निदेशालय, महिला कल्याण की वेबसाइट **mahilakalyan.up.nic.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना आवेदन ऑन लाइन प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश पोर्टल पर उपलब्ध है।

(मनोज कुमार राय)
निदेशक
महिला कल्याण, उ0प्र0

**UP-148675** दिनाँक **10.02.2020** विज्ञापन वेबसाइट **www.upgov.nic.in** पर उपलब्ध है।